संख्या:139/2026/858/35-4-2026/35-4099/65/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमेठी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 14 मई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद रायबरेली/अयोध्या/कौशाम्बी /अमेठी/जालौन/अम्बेडकर नगर/आगरा में शासनादेश संख्या:116/2026/613/35-4-2026/35-4099/65/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा 42 कार्यों की रू. 1779.58 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 888.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त कार्यों में से जनपद अमेठी से सम्बन्धित शासनादेश के क्रमांक-6 व 7 एवं 18 से 24 पर अंकित कार्यों की अनुमोदित लागत रू. 414.55 लाख के सापेक्ष रू. 207.00 लाख अवमुक्त करने के आदेश निर्गत किये गये।

2- आपके पत्रांक: 01/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक: 01 अप्रैल, 2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि गत वित्तीय वर्ष में आहरित नहीं की जा सकी है। अत: एतदद्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अमेठी के कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के समतुल्य रू. 207.00 लाख (रूपये दो करोड़ सात लाख मात्र) की धनराशि निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 का क्रमांक	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
6	ब्लाक भादर खरगपुर सम्पर्क मार्ग से हरिभजन के घर के पीछे तक इण्टरलाकिंग	0.55	27.86	14.00
7	ब्लाक अमेठी नैनहा बर्तली सम्पर्क मार्ग से लालता प्रसाद यादव के घर तक इण्टरलाकिंग।	0.50	25.34	13.00
18	वारिसगंज जामों मार्ग से पूरे कंडी सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.10	65.09	33.00
19	जनपद अमेठी में विकास खण्ड जामों के	1.00	59.88	30.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 का क्रमांक	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	अन्तर्गत ग्राम भीखीपुर सम्पर्क मार्ग से पूरे बख्तावर सिंह होते हुये ग्राम बरौलिया सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।			
20	विकास खण्ड मुसाफिरखाना में निजामुद्दीनपुर भद्दौर सम्पर्क मार्ग किमी0-02 से बाबू का पुरवा भद्दौर तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	0.60	36.42	18.00
21	गुवावां के मजरे पूरे शीतलाबक्श का पुरवा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.05	65.75	33.00
22	पूरे सरदार से पूरे फाजिल सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.10	64.79	32.00
23	महिमापुर कौहार मार्ग से पूरे गडेरियन सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	0.60	42.71	21.00
24	सेन्ट्रल बार एशोसिएशन अमेठी में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण का कार्य।		26.71	13.00
	योग:		414.55	207.00

1. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 की शर्तें यथावत लागू रहेगीं।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
3. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2027 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त कार्यों में से क्रमांक-6, 7 व 18 से 23 पर होने वाला व्यय रु0 1,94,00,000/- (रूपये एक करोड़ चौरानबे लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-40 के बजट **लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा। क्रमांक-24 पर अंकित कार्य पर होने वाला व्यय रू0 13,00,000/- (रूपये तेरह लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के बजट **लेखाशीर्षक- 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-0303- अधिवक्ताओं के चेम्बरर्स/ पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता/वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:139/2026/858(1)/35-4-2026/35-4099/65/2026तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ/अयोध्या/प्रयागराज/झांसी/आगरा मंडल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
10- मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली/अयोध्या/कौशाम्बी/अमेठी/जालौन/अम्बेडकर नगर/आगरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली/अयोध्या/कौशाम्बी/अमेठी/जालौन/अम्बेडकर नगर/ आगरा।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली/अयोध्या/कौशाम्बी/अमेठी/जालौन/अम्बेडकर नगर/ आगरा ।
15- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायबरेली/अयोध्या/कौशाम्बी/ अमेठी/जालौन/अम्बेडकर नगर/आगरा।
16- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रायबरेली/अयोध्या/कौशाम्बी/ अमेठी/जालौन /अम्बेडकर नगर/आगरा।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।